

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

दुर्घम के बाद हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

आवेदक की लड़की को सुभम गोड पुत्र चन्द्रभान गोड सा0 बनकट जगदीशपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ घर से 15/16-08-2020 भगाकर ले गया और ताराबान पोखरे पर लड़की की मांग में सिन्दूर भरा उसके साथ उसके मामा बिन्दू गोड पुत्र रामजनम निवासी पुषडा खालसा व साथ अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात थे आवेदक की लड़की को मार कर तथा उसका बलात्कार कर पोखरे में फेक दिये , लाश बरामद हुई। आवेदक उपरोक्त की तहरीर के आधार पर दिनांक 17.08.020 को थाना हाजा पर मु.अ.स. 158 /020 धारा 302,201,376डी,363,366 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ। अभि योग उपरोक्त में अभियुक्त सुभम गोड को दिनांक 19.8.020 को जेल भेजा जा चुका है। तथा अभियोग उपरोक्त में सन्दीप पुत्र बिन्दू गोड निवासी पुषडा खालसा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक 27.08.020 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा जघन्य अपराधों के अनावरण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में प्रभारी मुबारकपुर द्वारा मय हमराही टीम के साथ मु.अ.स. 158/020 धारा 302,201,376डी,363,366,120बी भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. बिन्दू गोड पुत्र रामजनम निवासी पुसडा खालसा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. सन्दीप गोड पुत्र बिन्दु गोड निवासी पुषडा खालसा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को आज दिनांक 28.8.020 को समय करीब 5.10. बजे शाहगढ़ से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 158/020 धारा 302,201,376डी,363,366,120बी भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त

1. बिन्दू गोड पुत्र रामजनम निवासी पुषडा खालसा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. सन्दीप गोड पुत्र बिन्दु गोड निवासी पुषडा खालसा थाना मुबारकपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

का. प्रमोद यादव

का. उपेन्द्र यादव

का. अजय कुमार